17

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 64-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-10-2014 - पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 21/2011-12 निगरानी

शॅकरलाल पुत्र देवमणि कोहार
ग्राम बघेला तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——आवेदक

विरूद्ध

रामनाथ पुत्र सुवुद्वी कोहार
ग्राम बघेला तहसील हनुमना
जिला रीवा मध्य प्रदेश ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री रामराज सिंह)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 01 - 08-2018 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 21/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-10-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी ने प्रकरण कमांक 77 अ-74/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2004 से ग्राम बाधेला की भूमियों का नक्शा तरमीम किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 49 अ-74/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-2011 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 21/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-10-2013 से निगरानी स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों के कम में आवेदक के अभिभाषक ने लेखी तर्क प्रस्तुत किये। अनावेदक के अभिभाषक के मौखिक तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक अभिभाषक की लिखित बहस, अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी ने प्रकरण कमांक 77 अ-74/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2004 से ग्राम बाधेला की भूमियों का नक्शा तरमीम किया है। नायव तहसीलदार का यह आदेश म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 70 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन है जिसके कारण यह आदेश संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील योग्य है जबकि नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी के आदेश दिनांक 25-5-2004 के विरूद्व प्रथम निगरानी अपर कलैक्टर रीवा ने ग्राह्य कर सुनी है जबकि अपर कलैक्टर के समक्ष निगरानी अग्राह्य थी जिसके कारण अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 23-9-11 विधि एंव प्रकिया पर अधारित न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ अपर कलैक्टर रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 49 अ 74/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-11 संहिता की धारा 50 के अंतर्गत है जो नियम एंव प्रकिया के अनुसार न होने से दूषित है। नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी का आदेश दिनांक 25-5-2004 अपील योग्य है जिसके प्रथम अपीलीय अधिकारी उपखंड अधिकारी है और उप खंड अधिकारी यदि अंतिम आदेश देते, तब ही संभागीय आयुक्त अपील योग्य आदेश के विरूद्व अपील सुन सकते हैं, जबकि आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने अपर कलैक्टर रीवा के नियम एंव प्रकिया के विरूद्व आदेश के विरूद्व निगरानी कमांक 21/11-12 श्रवण कर आदेश दिनांक 28-10-2013 पारित किया है जिसे नियम एंव प्रकिया के अनुसार होना नहीं माना जा सकता है ऐसी स्थिति में आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 28-10-2013 भी शून्यवत् है।

6/ आवेदक की मुख्य आपत्ति यह है कि ग्राम बघेला की आराजी कमांक 294/16 में निगरानीकर्ता लगभग 10 वर्ष पूर्व से मकान बनाकर रह रहा है जिसमें सिंचाई हेतु कुआ बना है एंव सिंचाई करके खेती करते आ रहा है। अनावेदक ने हलका पटवारी से मिलकर नक्शा तरमीम कराया है।

आवेदक की ओर से लिखित बहस में उठाई गई आपत्ति के कम में अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 29-3-11 में की गई विवेचना इस प्रकार हैः-

" अधीनस्थ न्यायालय के व्दारा हलका पटवारी को प्रस्ताव देने हेतु आदेशित किया गया। हलका पटवारी के व्दारा दिनांक 7-2-2003 को स्थल जांच किया जाकर प्रतिवेदन पंचनामा सूचना पत्र, नक्शा ट्रेस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। "

नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी के आदेश दिनांक 25-5-2004 कर अंश उद्धरण इस प्रकार है :-

" प्रकरण में आवेदक के साथ आपत्तिकर्ता के भी कब्जे की जांच की जाकर नजरी नक्शा तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में संलग्न स्थल निरीक्षण, पंचनामा **Ex P-1** एंव नजरी नक्शा **Ex P-2** को आदेश का अंग मानते हुये भूमि नं. 294/16 एंव 294/ 4 ख एंव 294/क के नक्शा तरमीम सॅशोधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। "

नायव तहसीलदार के आदेश में यह अंकन नहीं है कि उन्होंने आपत्तिकर्ता अर्थात आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सुना हो, नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 25-5-2004 में, स्थल पंचनामा में आवेदक के मकान, कुआ आदि का उल्लेख नहीं है एंव आपत्तिकर्ता /आवेदक को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई का अवसर न देने से नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश भी दूषित है। हालॉकि आयुक्त, रीवा संभाग ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर भूमि पूर्व की स्थिति में पहुंचाई है, परन्तु वादग्रस्त भूमि के संबंध में नक्शा तरमीम हेतु दिये गये आवेदन का निराकरण नहीं होता है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र0क0 21/11-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 28-10-2013 , अपर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 49 अ 74/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-9-11 तथा नायव तहसीलदार वृत्त खटकरी व्दारा प्रकरण क्रमांक 77 अ-74/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 25-5-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार हनुमना की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमियों के सम्बन्ध में अधीक्षक भू अभिलेख से ई0टी0एस0एम0 के माध्यम स्थल परिमाप कराते हुये नक्शा तरमीम प्रस्ताव प्राप्त करें , तदुपरांत उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर